औचक निरीक्षण, थाना इटियाथोक
प्रेस नोट
दिनांक19.08.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने देर रात्रि थाना इटियाथोक का किया औचक निरीक्षण, शिकायती प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को दिए आवश्यक निर्देश–

दिनांक 18/19.08.2024 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के साथ थाना इटियाथोक का औचक निरीक्षण किया। जिसमें थाना परिसर, थाना कार्यालय, विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने रिकार्डों को अद्यतन करने व साफ सफाई रखने एवं महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों को आने वाली महिला फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हुए तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने थाने के त्योहार, मासिक व अपराध रजिस्टर का अवलोकन किया तथा सभी अभिलेखो को अद्यावधिक रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने एचएस चेकिंग, लम्बित विवेचनाओ को गुणदोष के आधार पर निस्तारण व वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, प्र0नि0 दुर्ग विजय सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.08.2024

थाना परसपुर पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.–

कार्यवाही:–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–336/24, धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त एजाज पुत्र मुस्तकीम नि0 साईपुरवा मोहना थाना परसपुर जनपद गोण्डा को चरहुँवा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 23.07.2024 को थाना परसपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को विपक्षी एजाज शादी करने के उद्देश्य से बहला–फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय पाण्डेय को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 19.08.2024 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त एजाज पुत्र मुस्तकीम को चरहुँवा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. एजाज पुत्र मुस्तकीम नि0 साईपुरवा मोहना थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–336/24, धारा 137(2),87 बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 विनय पाण्डेय।
02. का0 आनन्द अग्रहरि।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 19.08.2024

थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत तालाब में मिले शव की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, आलाकत्ल दुपट्टा/चुनरी व मृतक का कीपैड मोबाइल फोन बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–300/24, धारा 103(1)/238 बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्ता शरीफुननिशा पत्नी बुद्धू निवासिनी कुकरिहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को कुकरिहा कब्रिस्तान मोड के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से आलाकत्ल दुपट्टा/चुनरी व मृतक का नोकिया कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.08.2024 को समय करीब 4:00 बजे थाना इटियाथोक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पीतगांव करूआपारा स्थित भकतिनिया तालाब से बोरे में बंधा हुआ एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है। सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौके पर पहुॅचकर घटना स्थल की जांच की गयी तथा फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। मृतक की शिनाख्त कलामुद्दीन उर्फ भज्जे पुत्र स्व0 मोहम्मद अली नि0 कुकरिहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के रूप में हुई। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। मृतक की पुत्री शहनाज की तहरीर पर थाना इटियाथोक पर मु0अ0सं0–300/24, धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमों का गठन कर प्र0नि0 इटियाथोक को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक 19.08.2024 को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन व इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्ता शरीफुननिशा पत्नी बुद्धू को कुकरिहा कब्रिस्तान मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही से आलाकत्ल दुपट्टा/चुनरी व मृतक का नोकिया कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि कलामुद्दीन उर्फ भज्जे से उसके पिछले करीब 01 वर्ष से सम्बन्ध थे और घर काफी आना जाना था। कमालुद्दीन द्वारा पैसा व घरेलू सामान भी उसे खरीदकर दिया गया था। कलामुद्दीन व अभियुक्ता के मध्य पिछले काफी समय से झगड़ा चल रहा था क्योकि अभियुक्ता अन्य लोगो से भी मोबाइल से बात किया करती थी जिसको लेकर कलामुद्दीन द्वारा अपत्ति की जाती थी और इसी बात को लेकर गाली–गलौज होती थी और अपने दिए हुए पैसे भी वापस मांगने लगा था। दिनॉक 15.08.2024 की रात्रि लगभग 09.00 बजे कलामुद्दीन अभियुक्ता के घर जाकर गाली–गलौज देने लगा। कई घण्टों तक घर के बाहर दोनो के मध्य झगड़ा चला काफी देर तक अभियुक्ता द्वारा कलामुद्दीन को घर से चले जाने के लिए कहा लेकिन नही जाने पर उसे घर के अन्दर बुला लिया। घर के सभी बच्चे सो रहे थे। अभियुक्ता द्वारा कलामुद्दीन को विश्वास में लेकर मजाक–मजाक में उसी के गमछे से दोनो हाथ पीछे करके बांध दिए उसके बाद अपनी ओढनी से उसका गला कस कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के उपरान्त अभियुक्ता द्वारा मृतक की ही लुंगी से उसे पोटली की तरह लपेट दिया तथा खाद के बोरे में भर कर बोरे को सिल दिया तथा बच्चों को जगाकर बोरी को उठाकर सिर पर लदवाया तथा बच्चों द्वारा पूछने पर इसमें क्या है तो बच्चों को डांट दिया। तत्पश्चात शव को सिर में रखकर घर के पास स्थित भगतिनिया तालाब में पानी के नीचे दबा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. शरीफुननिशा पत्नी बुद्धू निवासिनी कुकरिहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–300/24, धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. आलाकत्ल दुपट्टा/चुनरी
02. मृतक का नोकिया कीपैड मोबाइल फोन

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 इटियाथोक दुर्ग विजय सिंह।
02. अ0प्र0नि0 रमाशंकर राय।
03. हे0का0 राकेश सिंह।
04. हे0का0 संजय निषाद।
05. म0आ0 अनीता देवी।
06. म0आ0 निरमा देवी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 19.08.2024

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा, चोरी का माल व 3900/- रू0 नगद बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-206/24, धारा 305 बी0एनएस0 की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरो-01. निजामुद्दीन उर्फ पोपले पुत्र निबरे नि0 कौड़िया बाजार जनपद गोण्डा, 02. पिंकू गुप्ता पुत्र शोभाराम वैश्य नि0 कौड़िया बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को बेलवाबाजार रोड नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से से 01 अदद मंगल सूत्र पीली धातु, 02 जोड़ी कान की बाली पीली धातु व 3900 रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.07.2024 को आवेदिका शबनम पत्नी लल्लू नि0 ग्राम कौड़िया बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरो द्वारा उसके घर से सोने-चांदी के जेवरात व नगदी चोरी की लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 19. 08.2024 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों-01. निजामुद्दीन उर्फ पोपले, 02. पिंकू गुप्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद मंगल सूत्र पीली धातु, 02 जोड़ी कान की बाली पीली धातु व 3900 रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायायल रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. निजामुद्दीन उर्फ पोपले पुत्र निबरे नि0 कौड़िया बाजार जनपद गोण्डा।
02. पिंकू गुप्ता पुत्र शोभाराम वैश्य नि0 कौड़िया बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-206/24, धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मंगल सूत्र पीली धातु।
02. 02 जोड़ी कान की बाली पीली धातु।
03. 3900 रू0 नगद

मीडिया सेल, गोण्डा।